संचिका सं0:–4/क्षे0 सेवा नीति–03/11 (खण्ड–I) 181 (4) /रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 26/4/12

विषय :– **अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को राजस्व कर्मचारी (लिपिकीय कोटि) के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजन/नई नियुक्ति हेतु जिलावार सूची का प्रेषण।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में प्राप्त पदों के विरूद्ध आरक्षण कोटि के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को समायोजन/ नई नियुक्ति हेतु संबंधित कर्मियों का जिलावार सूची संलग्न कर भेजी जा रही है।

1. आरक्षण रोस्टर के अनुपालन के क्रम में जो व्यक्ति जिला आरक्षण श्रेणी में आयेंगे उनका उसी श्रेणी के रोस्टर बिन्दू के विरूद्ध समायोजन/ नई नियुक्ति होगा।

2. समायोजन/नई नियुक्ति में न्यूनतम प्रक्रम पर वेतन का भुगतान किया जाएगा।

3. संबंधित कर्मी को अपने पहचान के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो अथवा वोटर आई0 डी0 कार्ड, पैनकार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति के समय यह भी शर्त जोड़ने का निदेश दिया जा सकता है कि ये सभी पर्यवेक्षकों की वरीयता पूर्व में बितायी गयी सेवा मान्य नहीं होगी बल्कि संबंधित जिले में जो पूर्व से वरीयता जिस वर्ष अंतिम रूप से दर्ज है उसके बाद पर्यवेक्षकों के पूर्व से निर्धारित वरीयता के आधार मानकर उक्त वर्ष में दर्ज की जायेगी।

5. संबंधित कर्मियों की नियुक्ति 15 दिनो के अन्दर शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच कर नियुक्ति सक्षम पदाधिकारी के स्तर से की जाएगी।

नियुक्ति पदाधिकारी से अनुरोध है कि संलग्न जिलावार सूची को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात् विभाग से निर्गत पत्र की सम्पुष्टि निश्चित रूप से कराकर वेतन आदि के भुगतान पर कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन

ह0/- 24.4.12

(विजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक– 181(4) रा0 दिनांक– 26/4/12

प्रतिलिपि– निदेशक जन शिक्षा–सह–अपर सचिव मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक–2193 दिनांक–24.11.2011 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 26.4.12

(विजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 181(4) रा0 दिनांक– 26/4/12

प्रतिलिपि– संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट www. lrc.bih.nic.in पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/- 26/4/12

(विजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

D:\2012\sec chandan\April-May\Letter\anopchari shiksha prwekhsak 17-04-12.doc